# न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–199 / 2024 विविध (235 आरटीए एक्ट)

साहबराम पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी वार्ड नं 10, 11 आर डब्ल्यु डी, रामसरा, भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ (राज0)।

––प्रार्थी

बनाम

1. सत्यनारायण सुथार सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्राज पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. विक्रम सिंह पुत्र श्री दुलीचन्द जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. श्रवण कुमार पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– असल अप्रार्थीगण

5. परमेश्वरी पुत्री श्री बनवारी जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. विनोद कुगार पुत्र श्री बनवारी जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. शान्ति पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. श्रवण कुमार पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी।

––तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल किये जाने प्रकरण संख्या 12 / 2024, शीर्षक इन्द्राज आदि बनाम परमेश्वरी देवी आदि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, राजस्व टिब्बी, आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.11.2024

उपस्थितः–1. श्री अनिल गोस्वामी अधिवक्ता–प्रार्थी।
2. श्री लालचन्द वर्मा अप्रार्थी सं. 02 ता 04
3. शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

दिनांकः–19.02.2025

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी संख्या 05 ता 08 के खिलाफ अप्रार्थी संख्या 02 ता 04 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनवानी इन्द्राज आदि बनाम परमेश्वरी आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी राजस्व, टिब्बी के समक्ष पेश किया हुआ है। जिसकी प्रकरण संख्या 12 / 2024 है।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ



Scanned with OKEN Scanner

को दो दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 02 व 03 को अप्रार्थी संख्या 01 के चैम्बर में बैठा देखा जिसके उपरान्त उसी दिन अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई कि हमारा संगरिया विधानसभा क्षेत्र के अच्छे बुरे नेताओं व मंत्रियों से काफी ज्यादा जान पहचान है तथा पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 01 से हमारी पूर्णतया बातचीत तय हो गई है। हम उक्त प्रार्थना पत्र में हमारे पक्ष में निर्णय आसानी से पारित करवायेगें तथा निर्णय उपरान्त चक नं 12 आर डब्ल्यु डी पत्थर नं 228 / 384 (24) के किला नं 21 में बनी हुई सिंचाई हेतू डिग्गी को जबरन ध्वस्त कर रास्ता खुलवायेगे और आपकों आर्थिक व शारीरिक नुकसान कारित करेंगे। विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 12/2024, बहस की स्टेज पर है तथा बहस होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रार्थी को इस तरह खुले आम धमकी देने के कारण प्रार्थी भयभीत है तथा अपने आप को काफी ज्यादा असुरक्षित महसुस कर रहा है। विचारणीय न्यायालय के द्वारा अपने विधिक अधिकारों से बाहर जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। प्रार्थी द्वारा बार–बार न्यायालय की बात को लेकर तकाजा भी किया गया अप्रार्थीगण हमेशा अपनी राजनैतिक धोंस दिखाकर प्रार्थी को धमकाते रहते है। जिसे लेकर अब प्रार्थी को दिल में काफी ठेस पहुंची है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र अनवानी इन्द्राज आदि बनाम परमेश्वरी आदि को टिब्बी तहसील व संगरिया विधानसभा क्षेत्र से बाहर अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे जिससे प्रार्थी की पत्रावली में सही रूप से सुनवाई व आदेश हो सके।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी की तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं0 01 सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, टिब्बी की टिप्पणी इस प्रकार है कि जवाब उपखण्डाधिकारी टिब्बी प्रस्तुत जवाब के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी इन्द्राज आदि द्वारा अप्रार्थीगण परमेश्वरी आदि के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 012 / 2024 दायर किया गया है, जो न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच रखते है एवं अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के समक्ष कक्ष में बैठा देखा गया। अप्रार्थीगण की किसी राजनैतिक पहुंच का पीठासीन अधिकारी का कोई प्रभाव नहीं है एवं कार्यालय में न्यायालय प्रकरणों के साथ–साथ उपखण्ड क्षेत्र के समस्त प्रकार के कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है। जिसके संबंध में आगजन व राजस्व वादों से संबंधित प्रार्थीगण/ अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी के रामक्ष अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने आते रहते है, जिससे यह आरोप निराधार है कि कोई व्यक्ति पीठासीन अधिकारी से विशेष मिलने नहीं आता हैं एवं पीठारीन अधिकारी का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष एवं विपक्ष में निर्णय करने की आशंका व्यक्त करना अनुचित है। पीठासीन अधिकारी का राजस्व वादों में पक्षपात पूर्ण एवं विधि विरूद्ध निर्णय की कतई मंशा नहीं रही है। इस न्यायालय हाजा में समस्त प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 02 ता 04 से जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुई कि अप्रार्थीगण सख्या 2 से 4 ने न्यायालय उपखण्डाधिकारी टिब्बी के समक्ष रास्ता स्वीकृति हेतु अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, प्रकरण संख्या 12 / 2024 प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 ग्रामीण परिवेश के सीधे साधे काश्तकार है तथा उनकी कोई राजनैतिक पहुच नहीं है। अप्रार्थीगण सख्या 2 से 4 अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से परिचित ही

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़



Scanned with OKEN Scanner

ही है तथा ना हीं वे इस मुकदमा की पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित आये बल्कि उनके नियुक्त अधिवक्ता ही पैरवी करते आ रहे है । अप्रार्थीगण सख्या 2 से 4 ने अपनी कृषि भूमि के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण प्रार्थी की कृषि भूमि चक 12 आरडब्लयूडी के पत्थर नम्बर 228 / 284 (24) के किला नम्बर 21/3 में 0.013 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण सख्या 2 से 4 के परिवार का ही सदस्य है तथा जिद बाजी को लेकर प्रार्थी, अप्रार्थीगण सख्या 2 से 4 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने में विलम्ब पैदा करने के आशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पूर्व में भी प्रार्थी के भाई श्रवण कुमार ने हूबहू इन्हीं आधारों पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पूर्व पीठासीन अधिकारी स्वाति गुप्ता के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जो दिनांक 25.09.2024 को न्यायालय उपखण्डाधिकारी टिब्बी द्वारा खारिज फरमाया गया। प्रार्थी व उसके भाई आपस में मिले हुये है तथा येनकेन प्रकारेण वे रास्ता नहीं देना चाहते तथा इसी अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बार बार पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आक्षेप लगाकर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। विचारणीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण सख्या 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत रास्ता स्वीकृति के प्रकरण संख्या 12/2024 में बहस अंतिम होनी है तथा प्रार्थी ने बहस टालने के आशय से इस न्यायालय के समक्ष मिथ्या आधारो पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन व राजस्व न्यायालय में लम्बित प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 12/2024, बहस की स्टेज पर है तथा बहस होने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 02 व 03 द्वारा प्रार्थी को इस तरह खुले आम धमकी देने के कारण प्रार्थी भयभीत है तथा अपने आप को काफी ज्यादा असुरक्षित महसुस कर रहा है। विचारणीय न्यायालय के द्वारा अपने विधिक अधिकारों स प्रार्थी द्वारा बार–बार न्यायालय की बात को लेकर तकाजा भी किया गया अप्रार्थीगण हमेशा अपनी राजनैतिक धोंस दिखाकर प्रार्थी को धमकाते रहते है। जिसे लेकर अब प्रार्थी को दिल में काफी ठेस पहुंची है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र अनवानी इन्द्राज आदि बनाम परमेश्वरी आदि को टिब्बी तहसील व संगरिया विधानसभा क्षेत्र से बाहर अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे जिससे प्रार्थी की पत्रावली में सही रूप से सुनवाई व आदेश हो सके।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 पर जो आरोप लगाये गये है, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, टिब्बी की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन समक्ष प्रकरण संख्या 12/2024 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के जवाब का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थीगण सं0 2,3,4 ने अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण सं० 2 ता 4 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष रास्ता स्वीकृति हेतु अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिकारी के तहत प्रकरण विचाराधीन है। अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 ने अपनी कृषि भूमि के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़



Scanned with OKEN Scanner

[redacted] की कृषि भूमि चक 12 आरडब्ल्यूडी के प0नं0 228 / 284 ( 24 ) के किला नं0 21/3 में 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 एक ही परिवार का सदस्य है। पूर्व में भी प्रार्थी के भाई श्रवण कुमार ने इन्ही आधारो पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी स्वाती गुप्ता के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 25.09.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने पर कार्यवाही ड्रॉप फरमायी गयी। प्रार्थी व उसके भाई आपस में मिले हुए है तथा पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाकर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के विरूद्ध पेश किया गया है जो खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रकिया को अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 19.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner